



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 320550

12 June 2012

• 12 •

निवासीयों को उनसे छेड़ाइन करने व परिर्पत्तन करने ,अपल्ट करने  
या समाप्त करने का अधिकार होगा।

अतः उम्मीदपक्षों ने अपनी सुबुद्धितथा स्वेच्छा से बिना किसी निषयता  
के यह बिबल्डर सग्रीमेन्ट लिखीदयाीक प्रमाण रहे और समय पर  
काम आवे।